न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 104/2025
अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1. हासमखान उर्फ कला पुत्र बचू जाति मुसलमान निवासी बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. अकबर पुत्र जामीन 2. आसीयत पत्नी जानू 3. उमरा पुत्र जानू 4. खानू पुत्र जानू 5. खीदरखां पुत्र सचू 6. जुनेत पुत्र बचू 7. जुसब पुत्र नबाल 8. जाकब पुत्र नबाल 9. जाकब पुत्र जानू 10. जामीन पुत्र हुसैन 11. मगाखां पुत्र सचू 12. मूसा पुत्र हुसैन 13. मिठो पुत्र बचू 14. रफीक पुत्र नबाल 15. रहमान पुत्र नबाल फौत के का.मु. 15/1 बक्श 15/2. विक्रम 15/3 वीरम 15/4 सविरा पि. रहमान 16. रहीमों पत्नी नेहाल 17. साजन पुत्र सचू 18. हसण पुत्र तालब के का.मु. 18/1 इनात पुत्र हसण 19/2 जिमाली पत्नी कमला 19. हाकम पुत्र नबाल जाति मुसलमान निवासी कोनरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 20 तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – श्री बलदेवसिंह राठौड़
विप्रार्थीगण – श्री हासम खान समेजा
राज पेरोकार एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.05.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा संख्या 245 रकबा 21.6021 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त खेत में प्रार्थी का नाम हासमखान के स्थान पर कला राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम हासमखान है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार, परिचय पत्र में प्रार्थी का नाम हासमखान है, जबकि राजस्व रेकर्ड मे नाम कला है जो कि अशुद्ध होने के कारण प्रार्थी अपना मौजा बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन के खसरा खसरा संख्या 245 रकबा 21.6021 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में नाम कला के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

हासमखान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। जिसे शुद्ध करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन से नाम दुरूस्ती रिपोर्ट व जवाब प्राप्त हुआ। विप्रार्थी सं. 1 से 19 की ओर से अधिवक्ता श्री हासम खान समेजा द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थी का नाम कला के स्थान पर हासमखान दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा बूठ राठौड़ान के खसरा संख्या 245 मे प्रार्थी का नाम कला पुत्र बचु के स्थान पर हासमखान पुत्र बचु दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई।

तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता बहस सुनी गई। प्रार्थी व विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट व जवाब का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन, मौजा बूठ राठौड़ान के खसरा खसरा संख्या 245 रकबा 21.6021 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में प्रार्थी का नाम कला के स्थान पर हासमखान नाम दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन